मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15-10-2009

क्रमांक 8–1/2006/56: दिनांक 18.01.2008 के अनुसार कॉमन सर्विस सेन्टर (नागरिक सुविधा केन्द्र) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु निम्नानुसार दरों का निर्धारण किया गया है :–

1. **हिन्दी टाईपिंग** : रू. 8.00 प्रति पेज बिना प्रिन्टाउट के एवं रू. 10.00 प्रति पेज एक प्रिन्ट सहित। पेज की साईज ए4 होगी एवं टाईपिंग की दृष्टि से एक पेज 2000 अक्षरों का माना जायेगा। (यहाँ अक्षर का तात्पर्य कम्प्यूटर के Key Strokes से है यानी टाईपिंग के लिए जितनी बार कम्प्यूटर की Key दबाई जायेगी उतने अक्षर माने जायेगें) एक पेज से कम की टाईपिंग के लिए भी एक पेज की दर लागू होगी।

2. **अंग्रेजी टाईपिंग** : रू. 8.00 प्रति पेज बिना प्रिन्टाउट के एवं रू. 10.00 प्रति पेज एक प्रिन्ट सहित। पेज की साईज ए4 होगी एवं टाईपिंग की दृष्टि से एक पेज 2000 अक्षरों का माना जायेगा। एक पेज से कम की टाईपिंग के लिए भी एक पेज की दर लागू होगी।

3. **प्रिन्टिंग** : ए4 साईज पेज पर ब्लैक एण्ड व्हाईट प्रिन्टिंग रू. 3.00 प्रति पेज।

4. **फोटोकॉपी** : ए4 सिंगल साईड रू.1.00 प्रतिकॉपी एवं ए4 डबल साईड रू. 1.50 प्रतिकॉपी। यह दरें प्रिन्टर (मल्टी फंक्शन डिवाईस) के माध्यम से फोटोकॉपी करने पर ही लागू है अर्थात फोटोकॉपी मशीन से फोटोकॉपी करने पर यह दर लागू नहीं होगी।

5. **फैक्स** :
   (i) लोकल फैक्स (म.प्र. सर्किल के अंदर के टेलीफोन नं. पर) की दर रू. 10..00 प्रति पेज
   (ii) एसटीडी फैक्स (म.प्र. सर्किल के बाहर) की दर रू. 15.00 प्रति पेज

6. **हिन्दी/अंग्रेजी या न्यूमेरिक/आल्फा न्यूमेरिक डाटा एंट्री** :

(i) एक्सेल शीट/एमआईएस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री :
   a) यदि एक सेल में 20 या उससे कम अक्षर है तो प्रति सेल 15 पैसे की दर लागू होगी।
   b) यदि एक सेल में 20 से अधिक किन्तु 40 या उससे कम अक्षर हैं तो प्रति सेल 30 पैसे की दर लागू होगी
   c) यदि एक सेल में 40 से अधिक किन्तु 60 या उससे कम अक्षर हैं तो प्रति सेल 45 पैसे की दर लागू होगी।
   d) इसी प्रकार प्रति 20 अक्षर पर 15 पैसे की बढ़ोतरी की जावेगी।

(ii) एक बार ड्राप डाउन मेनु से सिलेक्ट करना 05 पैसे

(iii) एक बार चेक बाक्स से सिलेक्ट करना 02 पैसे

7. **इंटरनेट उपयोग :**

(i) 15 मिनिट या उससे कम समय उपयोग के लिए रू. 5.00
(यह दर ई–मेल, ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन, शिकायत आदि से संबंधित उपयोग के लिए है)
(ii) 30 मिनिट या उससे कम समय उपयोग के लिए रू. 10.00
(iii) प्रतिघण्टा रूपये 15.00

8. **स्कैनिंग कार्य :** स्कैनिंग प्रति पेज सॉफ्टकॉपी सहित रू. 1.00

9. स्कूल शिक्षा, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की वेतन/सेवा संबंधी विवरणों को एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत (सर्विस बुक ऑन लाईन करना) करने हेतु डाटा एंट्री के कार्य के लिए प्रति शिक्षक के विवरण की डाटा एंट्री की दर :-

a) कार्य यदि एमपीऑनलाईन केन्द्र के माध्यम से किया जाता है तो दर रूपये 19.00 प्रति शिक्षक।

b) कार्य यदि नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से किया जाता है तो दर रूपये 20.00 प्रति शिक्षक निर्धारित है जिसमें संचालित संस्था का फेसिलिटेशन (Facilitation) शुल्क रू. 1.00 शामिल है।

उपरोक्त दरों पर शासन के सभी विभाग कॉमन सर्विस सेन्टरों (नागरिक सुविधा केन्द्र) से सेवाऐं प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 8–1–2006 / 56 भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि –

1 प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग ।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
3 आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4 समस्त कमिश्नर / कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल ।
6 प्रबंध संचालक, समस्त निगम / मण्डल,
7 विशेष सहायक, मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
8 मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल ।
9 अनुभाग अधिकारी, फोल्डर हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.एन.चौहान)
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
दूरभाष क्रमांक 2512174

D:\My Documents\letter- 24.doc 57